



डॉ० धर्मन्द्र सिंह

बुन्देलखण्ड के किसानों की स्थिति, समस्या एवं समाधान

प्रभारी प्रधानाध्यापक उ० प्रा० वि० (१-८) लोदीपुर निवादा, हमीरपुर, (उ०प्र०) भारत

Received-24.10.2023, Revised-30.10.2023, Accepted-05.10.2023 E-mail: dr.dharmendrasingh1978@gmail.com

सारांश: बुन्देलखण्ड भारतवर्ष के केन्द्र में स्थित है। इसलिये इतिहास में हमेशा इसका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। विध्यांचल पहाड़ी से घिरे होने के कारण इसे बुन्देलखण्ड नाम मिला। यहाँ पहाड़ों एवं पत्थरों की बहुतायत है। जल यहाँ की हमेशा एक समस्या रही है, जिसने आज इतना विकराल रूप ले लिया है कि "जल ही जीवन है" नामक उक्ति को यहाँ चरितार्थ होते देखा जा सकता है।

बुन्देलखण्ड में उत्तर प्रदेश के 07 एवं मध्य प्रदेश के 6 से 12 जिले आते हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन एवं बांदा समतल में हैं और बकाया सभी जिले पहाड़ी इलाकों में आते हैं। अब तक बुन्देलखण्ड में लगभग 4200 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। झांसी में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स एवं दतिया, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह एवं सागर आदि में कुछ छोटे उद्योग धंधे हैं। बकाया बुन्देलखण्ड के जिलों में उद्योग धंधे न के बराबर हैं। एक समय हमीरपुर जनपद के भरूआ सुमेरपुर को औद्योगिक नगर बनाने का प्रयास हुआ तब वहां 70 फैक्ट्रियाँ लगायी गयी थी, लेकिन आज एक दो को छोड़कर मृतप्राय हैं।

कुंजीशब्द— बहुतायत, विकराल रूप, चरितार्थ, किसान आत्महत्या, अर्थव्यवस्था, मनोभावों, साहूकार, अन्नाप्रथा, संस्थापक।

बुन्देलखण्ड में पथरीली जमीन होने के कारण यहाँ कभी उद्योग धंधों का विकास नहीं हुआ। अतः यहाँ कि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही है और 70 प्रतिशत व्यक्ति किसानों पर निर्भर हैं। बुन्देलखण्ड लम्बे समय से या एक दशक से लगातार सूखे की चपेट में है। यहाँ किसानों की मौतें आम बात है। बुन्देलखण्ड के हालात आज कालाहाड़ी और विदर्भ जैसे होते जा रहे हैं। ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क के संस्थापक कोलिन गो साल्वेज बुन्देलखण्ड के किसानों की आत्महत्याओं को आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या मानते हैं और कहते हैं कि अगर मैं पड़वी में पैदा दलित किसान होता, तो निश्चित ही इन हालातों में नक्सली बन जाता।¹ गोसाल्वेज के मनोभावों से बुन्देलखण्ड के किसानों के हालात समझे जा सकते हैं। प्राचीन समय में बुन्देलखण्ड के बारे में एक कहावत कही जाती थी कि जिस व्यक्ति पर विपत्ति पड़ती है, तो वह बुन्देलखण्ड आता है।

"चित्रकूट में बस रहे रहिमान अवध नरेश जा पर विपदा परत है सौ आवत यह देश"

लेकिन आज बुन्देलखण्ड को सहारा देने वाला अन्नदाता खुद बिना अन्न के भूखों मर रहा है। सन 1928 में रॉयल कमीशन ने अपने प्रतिवेदन में लिखा "भारतीय कृषक ऋण का बोझ कंधों पर लेकर जन्म लेता है, ऋणग्रस्तता में पूरा जीवन व्यतीत करता है, ऋण में ही उसका अन्त हो जाता है और वह अपनी सन्तान के लिये ऋण का बोझ छोड़ जाता है।² रॉयल कमीशन की यह रिपोर्ट पूरे देश में बुन्देलखण्ड में सबसे ज्यादा सटीक बैठती है। बुन्देलखण्ड के किसानों के हालात बद से बदतर होने के पीछे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनैतिक सभी कारक जिम्मेदार हैं।

गांधी जी ने कहा था कि 'दिल्ली भारत नहीं है भारत तो गांव में बसता है। अतः यदि हमें भारत को उन्नत करना है तो गांव की दशा सुधारनी है एवं किसानों को आर्थिक विकास से जोड़ना होगा। उन्होंने एक नारा भी दिया गाँवों की ओर वापस चलो। बुन्देलखण्ड का किसान अशिक्षित है, जिसके कारण वह न तो सरकारी योजनाओं तक अपनी पहुंच बना पाता है और न ही सरकारी अनुदान प्राप्त कर पाता है। अशिक्षित होने के कारण वह सरकारी अधिकारी के पास जाने में डरता है और अधिकारी भी किसानों से सीधे बात नहीं करते क्योंकि उन्हें किसानों के साथ मिलकर काम करने का अभ्यास नहीं है। इसलिए किसान गांव के साहूकारों या बैंक के दलालों के माध्यम से ऋण लेता है। साहूकार का ऋण दिन दूना रात चौगना बढ़ता है और बैंक का ऋण जब पास होता है तो आधे से अधिक दलाल और बैंक कर्मचारी ले जाते हैं। अन्ततः किसान ऋण के जाल में समा जाता है। क्योंकि परम्परागत खेती एवं सूखे के कारण उसका बीज तक वापस नहीं होता और यही हृदयागात उसकी मौत का कारण बनता है। अतः किसानों की अशिक्षा एक बहुत बड़ा कारण है किसानों की मुख्य समस्याओं में अशिक्षा, कुपोषण, अन्नाप्रथा, ऋणग्रस्तता, सिंचाई के लिये जल का आभाव, समय पर खाद-बीज उपलब्ध न होना, बिचौलियों की समस्या, जलवायु परिवर्तन, प्रम्परागत खेती, राजनैतिक उपेक्षा, ओलावृष्टि, प्रशासनिक दुर्व्यवस्था जैसी बहुत सारी समस्याएं बुन्देली किसानों के सामने विद्यमान हैं। जिसका विस्तृत अध्ययन एवं विवेचन करते हुए स्थायी समाधान की आवश्यकता है।

बुन्देली किसानों की समस्याएँ—

- अशिक्षा
- ऋणग्रस्तता
- सिंचाई के लिए जल का आभाव
- अन्नाप्रथा
- समय पर खाद-बीज का उपलब्ध न होना
- बिचौलियों की समस्या



- परम्परागत खेती
- वर्ष भर रोजगार उपलब्ध न होना
- राजनैतिक उपेक्षा
- प्रशासनिक दुर्व्यवस्था

अशिक्षा- बुन्देलखण्ड में अभी तक शिक्षा के बहुत सारे अवसर सरकारी स्कूलों के रूप में उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि किसान के पास हमेशा पैसों का आभाव रहता है और श्रम के लिए मजदूरों की जरूरत होती है और उसे बिना पैसों के मजदूर अपने बच्चों के रूप में मिल जाते हैं। इस तरह किसानों के बच्चे पैसों के आभाव में अशिक्षित होते चले जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी अशिक्षा का माहौल बना रहता है। शिक्षित न होने के कारण किसान के अन्दर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है और यही कमी उसकी समस्याओं की शुरुआत बनती है। अशिक्षित होने के कारण वह सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त नहीं कर पाता और उनका लाभ कुछ चुने हुए लोग हमेशा लेते रहते हैं। आत्मविश्वास एवं हीनभावना के कारण वह अपनी बात सरकारी अधिकारियों से कहने में डरता है। उसका आत्मविश्वास खासकर सरकारी योजनाओं एवं वित्तीय क्षेत्र में समाप्त हो जाता है। अब उसे अपने काम के लिए किसी की जरूरत पड़ती है और वह व्यक्ति उसकी अशिक्षा एवं मजबूरी दोनों का फायदा उठाता है। बुन्देली किसान अपने गांव को छोड़कर शहरों के बहुत कम सम्पर्क में रहता है या यह कहें कि उसे शहरों से डर लगता है। इसलिए जब उसके पास खाने को कुछ नहीं बचता तब वह मौत को अपने गले लगा लेता है। उसकी अशिक्षा हर जगह उसकी परेशानी का कारण बनती है।

ऋण ग्रस्तता- सबको भोजन देने वाला किसान ऋण में पैदा होकर ऋण में मर जाता है। सरकारी नौकरी करने वालों को सरकार छः माह में मंहगाई का आकलन करते हुए सालाना वेतन वृद्धि करती है, लेकिन किसान को किसी तरह का फायदा सरकारी स्तर पर नहीं मिलता। उसे अपनी फसल का मूल्य तय करने का हक भी सरकार नहीं देती। अन्ततः उसे अपने जीवन की छोटी एवं बड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण लेना पड़ता है, ताकि उसका जीवन चलता रहे, लेकिन जीवन जीने के लिए वह जो ऋण लेता है। वही ऋण उसका जीवन समाप्त कर देता है। वह साहूकारों व बैंकों से दो तरह के ऋण लेता है एक अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं जैसे घरेलू खर्च एवं खाद, बीज, पानी आदि के लिए छोटे ऋण दूसरा बच्चों की शादी के लिए बड़े ऋण सामाजिक परम्पराओं के कारण भी उसे कभी-कभी ऋण लेने पड़ते हैं, जैसे मृत्यु के पश्चात किये जाने वाले भोज आदि।

दहेज के बिना बेटी की शादी होना सम्भव नहीं होता क्योंकि समाज के भय से दोनो पक्ष दिखावे के लिये एवं अपने झूठे सामाजिक स्तर को बनाये रखने के लिये ऋण का सहारा लेते हैं। खेती के अलावा किसान की आय का दूसरा कोई भी स्रोत नहीं होता और फसल किसान को अधिकतर समय धोखा देती है। फसल उसकी भोजन की समस्या तक हल नहीं कर पाती और इस तरह वह साहूकारों से ऋण लेता है। साहूकार का ऋण दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाता है। अगर कभी फसल ठीक भी हुई, तो उसका पिछला कर्ज इतना होता है कि उसे चुकाते-चुकाते वह खुद चुक जाता है।

ऋण प्राप्त करने की दूसरी जगह बैंक होती है। एन०डी०ए० सरकार ने अपने समय किसानों को सस्ते ऋण उपलब्ध कराने के लिये किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारम्भ की थी, लेकिन किसानों को कम ब्याज पर कर्ज तो मिलता है लेकिन यही ऋण उसकी जमीन के साथ-साथ उसे भी खा जाता है। हिन्दुस्तान समाचार पत्र के दिल्ली शाखा के वरिष्ठ सम्पादक प्रताप सोमवंशी कहते हैं कि बुन्देलखण्ड में किसानों के लिये किसान क्रेडिट कार्ड कर्जदार बनाने और जमीन गवॉने का जरिया नजर आया है।¹ ऐसा इसलिये होता कि किसान को ऋण प्राप्त करने के लिये दलालों का सहारा लेना होता है, अगर उसे बैंक का ऋण चाहिये तो 50 प्रतिशत धन बैंक अधिकारी और दलाल खा जाते हैं उसे सिर्फ 50 प्रतिशत धन ही प्राप्त होता है और इस धन को चुकाने के लिये जब इसका ब्याज किसान बैंक में जमा करता है तो इस ब्याज को बैंक अधिकारी कहीं दर्ज नहीं करते और इस धन को खा जाते हैं क्योंकि किसान अशिक्षित होता है। इसलिये वह सही होने के बावजूद अपने ब्याज व धन वापसी का हिसाब नहीं रख पाता, धीरे धीरे वह ऋण के बोझ में इतना दब जाता है कि उसके पास आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। समस्याओं से निजात पाने के लिये कभी-कभी वह अपने बच्चों को भी बेंच देता है। 10 दिसम्बर 2007 में बांदा जनपद में बच्चों को बेंचने का एक मामला प्रकाश में आया था। इसका उल्लेख भरत डोंगरा ने बुन्देलखण्ड की अपनी रिपोर्ट में किया है। बांदा के एक रिक्शा चालक ने जो पूर्व में किसान था, पैसे के आभाव में अपने दो पुत्रों चन्दन एवं शंकर को बेच दिया था।² कई बार किसान अपनी बेटियों को पैसे लेकर उससे दो या तीन गुना उम्र में बड़े लोगों से उसका विवाह कर देते हैं इसके बावजूद उसका कर्ज उसे मरने पर मजबूर कर देता है।

सिंचाई के लिए जल का आभाव- बुन्देलखण्ड में पानी की अहमियत क्या है? इसका अन्दाजा बुन्देली की एक कहावत से लगाया जा सकता है, जो प्रायः महिलाओं के बीच प्रचलित है। महिलाएं जब पीने का पानी सिर पर रखकर चलती हैं तो वह कहती हैं "गगरी न छूटै चाहे खसम मर जाए" पानी के पीछे वह अपने सुहाग तक को न्यौछावर करने की बात करती हैं जल जीवन का आधार होता है बुन्देलखण्ड में हमेशा पानी की समस्या रही है। जमीन पथरीली होने के कारण जल का स्तर गिरता जा रहा है। महोबा जनपद में तो पीने के पानी तक बड़ी मुश्किल से उपलब्ध हो पाता है। पानी के आभाव में पशु एवं मनुष्य परेशान रहते हैं। कृषि ही बुन्देलखण्ड का आधार है। कृषि बिना जल के सम्भव नहीं है, जब पीने को पानी उपलब्ध नहीं है, तो उन हालातों में सिंचाई नहीं की जा सकती। लोगों ने सिंचाई के लिए रिंगबोर को साधन बनाने का प्रयास किया, लेकिन लाइट की उपलब्धता न होने के कारण बोर से भी सिंचाई करना सम्भव नहीं हो पाता।

बुन्देलखण्ड के किसानों की इस वर्ष की रबी एवं खरीफ दोनों फसलें सूखे की वजह से बरबाद हो गयी हैं। बुन्देलखण्ड में आज भी सिंचाई का बहुत बड़ा साधन वर्षा का जल है। जंगलों की कटान एवं पथरीली जमीन होने के कारण यहां वर्षा लगातार कम



होती जा रही है, पर्यावरणीय प्रदूषण भी कम वर्षा के लिए जिम्मेदार है। सरकार के द्वारा सिंचाई के लिए जो बांध या चेकडैम बनाए गये हैं। वह भ्रष्टाचार के कारण इतने मजबूत नहीं बने कि वह भारी मात्रा में जल का संचयन कर सकें। पुराने बांधों जिसमें ज्यादा मात्रा में पानी संचय किया जा सकता है। उसमें नेताओं एवं अधिकारियों की मिलीभगत से मछली पालन कर मोटी रकम कमायी जा रही है। हमीरपुर जनपद के मौदहा बांध में मछलियों के कारण बांध का पानी समय से पूर्व निकाल दिया गया। अगर यह पानी किसान को समय पर उपलब्ध हो जाता तो 80 प्रतिशत किसानों की खेती की बुआई हो सकती थी लेकिन व्यक्तिगत लाभ के पीछे किसानों की चिन्ता कौन करे? नहरों में आने वाले पानी पर दबंगों का कब्जा होता है। इसलिए छोटे किसान नहर के पानी का प्रयोग समय रहते नहीं कर पाते। प्रशासन भी नहरों की साफ सफाई एवं सिल्टिंग का कार्य कागज में तो करता है, हकीकत में नहीं। नहरों में इस तरह पानी टेल तक नहीं पहुंचता और जो पानी आता है, वह दबंग लोगों के लिए होता है। इसलिए छोटे किसानों की फसलें चौपट हो जाती हैं। बुन्देलखण्ड में जल के स्तर घटने का बहुत बड़ा कारण नदियों से बालू का अवैध खनन भी है। बुन्देलखण्ड में जल संकट सबसे बड़ा खतरा एवं समस्या है

अन्नाप्रथा- पिछले एक दशक से बुन्देलखण्ड में एक नयी समस्या ने जन्म लिया, जिसने आज इतना विकराल रूप ले लिया है कि अब हर किसान परेशान है। अन्नाप्रथा के पीछे कुछ जायज कारण है तो कुछ नाजायज कारण भी हैं। पहले खेती में बैलों के प्रयोग होने के कारण गाय एवं गाय के बछड़ों की बड़ी भूमिका थी, लेकिन ट्रैक्टरों के खेती होने के कारण इनकी उपयोगिता समाप्त हो गयी। उपयोगिता समाप्त होने के कारण लोगों ने बछड़ों को अन्ना छोड़ना प्रारम्भ कर दिया और गाय का दूध दुहकर उसे भी अन्ना छोड़ने की प्रथा का प्रारम्भ हुआ। यह क्रम धीरे-धीरे हर व्यक्ति ने अपना लिया और आज बुन्देलखण्ड में लगभग लाखों जानवर अन्ना घूम रहा है, जब किसान अपने दैनिक कार्यों के लिए अल्प समय के लिए घर आता है, तो यह जानवर उसकी फसल चर जाते हैं। संख्या अधिक होने के कारण किसान उसे रोक पाने में असमर्थ होता है। बुवाई कम होने के कारण अधिकतर खेत सूखे पड़े रहते हैं और जिन खेतों की बुवाई हो भी जाती है, तो उसे अन्ना जानवरों से बचाना बड़ा मुश्किल होता है।

जानवरों को छोड़ने का एक कारण किसानों के पास भूसे एवं चारे का न होना भी है। जब किसान खुद मौत के पंजे से अपने को नहीं बचा पाता, तो वह उन जानवरों को खुला छोड़कर उसकी हत्या के पाप से बचने का प्रयास करता है। इन सब कारणों से किसान अपने खेत से बहुत कम आय प्राप्त कर पाता है और उसकी आय उसके खर्च के लिए नगण्य होती है। कुछ समय पहले हमीरपुर जनपद में जिला प्रशासन ने पौधिया के पास बनी सिकड़ी श्रमदान में बनी हुई, सरकारी मण्डी में अन्ना जानवरों को बन्द करने एवं उनके खाने की व्यवस्था का प्रयास किया, लेकिन 03 दिन में ही लगभग 4 हजार जानवर वहां इकट्ठा हो गया। अन्ततः जिला प्रशासन उनकी व्यवस्था करने में नाकाम रहा है और उन जानवरों को छोड़ दिया गया। उन सामूहिक जानवरों के चलने मात्र से ही कई गांव की फसलें बर्बाद हो गयीं और लगभग एक सप्ताह जिले का माहौल खराब बना रहा। अन्नाप्रथा किसानों के लिए अब एक घातक समस्या बन गयी है।

समय पर खाद बीज उपलब्ध न होना- बुन्देलखण्ड में किसानों को बुवाई के समय खाद एवं बीज उपलब्ध नहीं हो पाता, कुछ किसानों को छोड़कर अधिकतर अपनी बारी का इन्तजार करते रहते हैं और बुवाई का उचित समय निकल जाता है। इससे फसल के उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है और उत्पादन घटकर आधे से भी कम हो जाता है।

बिचौलियों की समस्या- किसान अगर किसी तरह फसल पैदा कर भी लेता है तो उसे उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता क्योंकि किसान को पैसे की सख्त आवश्यकता होती है। इसलिए वह अपनी फसल रोकने की क्षमता नहीं रखता। बिचौलिए इस चीज का फायदा उठाकर उसकी फसल कम से कम दाम पर खरीद लेते हैं और बाद में बिचौलिये उसी फसल को ऊँचे दाम में बेंचकर लाभ कमाते हैं जबकि यह लाभ किसान का होता है जो उसे नहीं मिलता।

परम्परागत खेती- बुन्देली किसान अभी भी उन फसलों को पैदा करता है जिसके लिए अधिक जल की आवश्यकता है जबकि पानी की कमी होने के कारण फसलें प्रायः बर्बाद हो जाती हैं और लगातार एक ही तरीके की फसलें उपजाने से किसान ऊब भी जाता है, तो वह पूरी तन्मयता से खेती का काम नहीं करता। बुन्देलखण्ड में जलवायु परिवर्तन के कारण एकदम से सर्दी के बाद गर्मी प्रारम्भ हो जाती है जिससे परम्परागत गेहूँ की खेती बुरी तरह प्रभावित होती है। यही हाल अन्य फसलों का है। इन कारणों से उत्पादन भी प्रभावित होता है। नयी फसल पैदा करने से एक तो नयापन आता है, जो किसान को ऊर्जा प्रदान कर सकता है। इसलिए परम्परागत खेती को छोड़कर कम पानी में पैदा होने वाली फसलों को उगाने का प्रयास करना चाहिए।

वर्ष भर रोजगार उपलब्ध न होना - किसान को जुताई बुवाई एवं कटाई में लगभग छः माह का समय लगाता है और साल में केवल एक फसल ही पैदा कर पाता है। छः माह का समय वह बेरोजगारी में व्यतीत करता है। उद्योग धंधे न होने के कारण वह फैक्ट्रियों में दैनिक मजदूरी का काम भी नहीं कर पाता। जो वह पैदा करता है उसी से साल भर उसे अपने खर्च चलाने होते हैं, जो कि वर्ष भर के लिए पर्याप्त नहीं होते केवल खेती से पूरे वर्ष भर के खर्च कर पाना असम्भव होता है।

राजनैतिक उपेक्षा- भारत के राजनैतिक क्षितिज के उच्च शिखर पर सन् 28 जुलाई 1979 को एक किसान प्रधानमंत्री ने पांचवें प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाला। वह किसानों के नेता के रूप में पहले ही अपनी पहचान बना चुके थे। उन्हीं के प्रयासों से सन् 1952 में जमींदारी उन्मूलन विधेयक पास कराया जा सका था। उसके बाद लगातार किसानों के हित में सोचने वाले राजनेताओं का आभाव बना हुआ है। किसानों के प्रति सरकारी उदासीनता का अन्दाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 1951 में बनायी गयी पहली पंचवर्षीय योजना में राज्य के कुल बजट का 24 प्रतिशत हिस्सा कृषि के लिए खर्च किया गया, जो आज घटकर महज तीन फीसदी रह गया है प्रत्येक वर्ष लगभग 48 हजार हेक्टेयर उपजाऊ भूमि धुआं उगलते उद्योगों और कंकरीट के फैलते जंगलों की भेंट चढ़ जाती



है।¹ राज्य सरकारें हों या केन्द्र की सरकारें उन्होंने आज तक किसान को अच्छा जीवन स्तर उपलब्ध नहीं करा पाया है। देश को आज फिर चौधरी चरण सिंह जैसे किसानों के हितैषी प्रधानमंत्री की जरूरत है, जो किसानों के दर्द को महसूस कर सके।

प्रशासनिक दुर्व्यवस्था- केन्द्र सरकार या राज्य सरकार अगर कोई भी कानून या जन कल्याणकारी योजना बनाती हैं, तो उसे जनता तक पहुंचाने का काम प्रशासनिक अधिकारियों का होता है, लेकिन भ्रष्टाचार में डूबी सरकारों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को किसानों की मौतें भी सुधार नहीं पा रहीं, यह उनकी संवेदनहीनता को दर्शाता है। बुन्देलखण्ड का किसान अशिक्षित होने के कारण न तो खुद सरकारी योजनाओं के सम्पर्क में आ पाता है और किसानों से सम्बन्धित योजनाओं को अधिकारी भी उन तक पहुंचाने में असमर्थ रहते हैं और यही अधिकारी उन योजनाओं में आवंटित धन को कुछ चुने हुए लोगों के माध्यम से हड़प कर लेते हैं।

समाधान- किसानों को शिक्षित करते हुए उन्हें सरकारी योजनाओं से अवगत कराया जाए और जागरूकता अभियानों के माध्यम से किसानों के बीच योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाए। किसानों को कम से कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाए और वह धन सीधे किसान को खाते में भेजा जाए, जिससे किसानों को कमीशनखोरी से बचाया जा सके। सिंचाई के लिए अधिक से अधिक जल उपलब्ध कराया जाए इसके लिए नहरों एवं बांधों का पुनर्निर्माण किया जाए एवं सिंचाई परियोजनाओं को विकसित कर हर खेत को पानी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाए। अन्नाप्रथा की समस्या को दूर करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर में गौशाला खोली जाए और प्रशासनिक देखरेख में उसकी व्यवस्थाएं की जाए या पहले से संचालित बड़ी गौशालाओं में बुन्देलखण्ड में अन्ना पशुओं को समाहित करने की योजना बनाई जाए और प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने जानवर बांधकर अन्ना पशुओं की संख्या कम कर सकता है।

किसानों को समय पर खाद-बीज उपलब्ध कराने की योजना निचले स्तर पर तैयार की जाए।

फसल की खरीद के लिए किसान से सीधे फसल खरीदने की योजना बनाई जाए, जिससे बिचौलियों को प्राप्त होने वाला लाभ किसान के पास तक पहुंच सके। किसानों को सरकार द्वारा सम्मानित करने के लिए निचले स्तर से लगाकर राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों की व्यवस्था की जाए ताकि किसान भी अपने को सम्मानित महसूस कर सके। केरल मॉडल अपनाते हुए छोटी जोतों में सब्जियाँ, फूलों, और कम लागत और कम पानी की फसलों को उपजाया जाए।

बांदा के देवराज जैसे किसानों को किसानों के रोल मॉडल के तौर पर प्रस्तुत करते हुए, उसके साहस को किसानों के आत्मविश्वास जगाने के लिए प्रयोग किया जाए और ऐसे किसानों के कार्यों को प्रचारित एवं प्रसारित किया जाए ताकि किसान के अन्दर आत्मबल पैदा हो सके और उन्हें आत्महत्या करने से बचाया जा सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. www.bundelhand.in
2. कुरुक्षेत्र, दिसम्बर-2013, अंक-2.
3. www.bundelhand.in
5. www.bundelhand.in
4. हिन्दुस्तान दैनिक समाचार पत्र, 25 फरवरी 2013.
6. दैनिक जागरण समाचार पत्र, 26 जनवरी 2012.
